कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक– 3441 /कैमूर/33–1, दिनांक,मीरजापुर, अप्रैल, 03 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा।

विषयः– मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 के अन्तर्गत परियोजना में प्रभावित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के बदले विभिन्न ग्रामों में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित समतुल्य गैर वन भूमि का VIP शासनादेश दिनांक 28.06.2019 के अनुसार परीक्षण एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध मे।

संदर्भः– आपका पत्रांक–1606/ओबरा/15भू0ह0 दिनांक 31–01–2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 के अन्तर्गत परियोजना में प्रभावित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के बदले विभिन्न ग्रामों में क्षतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation) हेतु प्रस्तावित समतुल्य गैर वन भूमि हेतु कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि को गैर वन भूमि के रूप में स्वीकार करने के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–VIP-23/14–2–2019–190जी /2018 दिनांक 28 जून 2019 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार परीक्षण कर प्रमाण पत्र तथा प्रश्नगत क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने अथवा न होने की स्थिति स्पष्ट करने हेतु आख्या/अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। तत्कम में प्राप्त गैर वन भूमि का परीक्षण वी0आई0पी0 शासनादेश दिनांक 28 जून 2019 के अनुसार राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। परीक्षणोपरान्त कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर अन्तर्गत तहसील–लालगंज की रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी, जिसका विवरण सारांश निम्नवत् है–

क्र0 सं0	तहसील का नाम (वन प्रभाग का नाम)	ग्राम का नाम	परीक्षण हेतु प्राप्त गैर वन भूमि का गाटावार विवरण		VIP-शासनादेश के अनुसार उपयुक्त पायी गयी गैर वन भूमि का सारांश		अभ्युक्ति
			गाटों की संख्या	रकबा (हे0 में)	गाटों की संख्या	रकबा (हे0 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लालगंज (कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर)	महोखर	13	11.402	12	5.402	वर्तमान खतौनी के आराजी संख्या 76 क (क्षेत्रफल 6 हे0) का ए.आर.ओ. जिल्द के अनुसार पुराने गाटो का कुल क्षेत्रफल 5 वीघा 16 विस्वा पाया गया । इस प्रकार नये गाटे का क्षेत्रफल एवं पुराने गाटों के कुल क्षेत्रफल मे भिन्नता होने के कारण आराजी संख्या 76 क स्वीकार योग्य नही है।
2		पीड़ीरामपुर	10	18.115	10	18.115	–
3		बड़ौहा	04	48.456	04	48.456	–
4		परसिया मुड़पेली	05	39.600	04	34.600	आराजी संख्या 998 च के पुराने गाटो का अंश भाग झाड़ी मे दर्ज है। अतः वन संरक्षण अधिनियम की परिधि मे होने के कारण गाटा संख्या 998 च स्वीकार नही किया गया ।

Scanned with OKEN Scanner

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works
Authorised Signatory

5		बरहुला	16	38.560	0	0	ग्राम बरहुला के गाटों 1359 फसली की नवैयत मे अंश गाटा बंजर झाड़ी, धारा–20 आदि से आच्छादित होने एवं वन संरक्षण अधिनियम की परिधि मे होने अथवा वन बंजर सूयी उपलब्ध न होने के कारण स्वीकार नही किया गया।
6		मतवार	12	37.594	0	0	ग्राम मतवार के समस्त 12 गाटे (37.594) वर्तमान खतौनी की नवैयत मे जंगल झाड़ी से आच्छादित होने एवं वन संरक्षण अधिनियम की परिधि मे होने के कारण गाटों को स्वीकार नही किया गया।
		योग	60	193.727	30	106.573	

उपरोक्तानुसार उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–VIP-23/14–2–2019–190जी/2018 दिनांक 28 जून 2019 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार परीक्षण करने के उपरान्त उपयुक्त पायी गयी गैर वन भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता के सम्बन्ध में, सम्बन्धित क्षेत्रीय वनाधिकारी एवं वन्य जीव प्रतिपालक, कैमूर वन्य जीव विहार, चुर्क–सोनभद्र के पत्र संख्या–1011/33–1 दिनांक 05–04–2025 व पत्रांक 1016/33–1 दिनांक 07–04–2025 एवं 1023/33–1 दिनांक 09–04–2025 (संलग्नक–1, 2 व 3) द्वारा आख्या प्रेषित की गयी, जिसका स्थलवार विवरण निम्न प्रकार है–

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	VIP-शासनादेश के अनुसार उपयुक्त पायी गयी गैर वन भूमि का सारांश		क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता की वर्तमान स्थिति
		गाटों की संख्या	रकबा (हे0 में)	
1	2	3	4	5
1	महोखर	12	5.402	पूरा क्षेत्रफल (5.402 हे0) पथरीला है, कच्चे/पक्के मकान बनाकर एवं अन्य तरीके से जैसे पशुओं को बाधना, गोबर रखना आदि द्वारा अतिक्रमण भी किया गया है। पूरा क्षेत्रफल वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त है।
2	पौड़ीरामपुर	10	18.115	पूरा क्षेत्रफल(18.115 हे0) पथरीला होने के कारण वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त है।
3	बड़ौहा	04	48.456	बड़ौहा में 08 हे0 के पैच में लगभग 02 हे0 वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया, लेकिन वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाए गए यह स्थल (लगभग 02 हे0) वन भूमि से काफी दूर है। इस प्रकार 02 हे0 का यह पैच वन भूमि से सटा न होने के कारण इसके प्रबन्धन में काफी कठिनाई आएगीं शेष क्षेत्रफल (46.456 हे0) पथरीला होने के कारण वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त है।
4	परसिया मुड़पेली	04	34.600	पूरा क्षेत्रफल(34.600हे0) पथरीला होने के कारण वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त है।
		30	106.573	

अतः उपरोक्तानुसार वी0आई0पी0 शासनादेश के अनुसार 106.573 हे0 उपयुक्त पायी गयी गैर वन भूमि मे ग्राम बड़ौहा मे 02 हे0 भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी। उपरोक्त गैर वन भूमि का क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र इस प्रतिबन्ध के साथ दिया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के सैद्धांतिक स्वीकृति के उपरान्त प्रस्तावक विभाग (मै0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0) द्वारा कैमूर वन्य जीव, प्रभाग मीरजापुर को विवाद रहित तथा अतिक्रमण मुक्त जो प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सर्वथा उपयुक्त हो गैर वन भूमि उपलब्ध कराना होगा।

भवदीय

10/04/2025

(तापस मिहिर)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

UltraTech Cement Limited
Works
Scanned with OKEN Scanner
Authorised Signatory

संख्या /समदिनांक

प्रतिलिपि—मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, कानुपर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—सी0ओ0ओ0 मेसर्स अल्ट्राटेक सिमेन्ट लिमिटेड यूनिट—डाला, सिमेन्ट वर्क्स डाला, सोनभद्र को सूचनार्थ प्रेषित।

03/04/2025

(तापस मिहिर)

प्रभागीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works

Authorised Signatory

Scanned with OKEN Scanner